

**झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

राँची


दिनांक :- 30.12.11

अधि० सं०-1/स्था.(प्रो.)-10-08/2011-6225/ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अधीन कार्यरत निम्नांकित कार्यपालक अभियंता को क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको के रिक्त पदों का प्रभार ग्रहण करने हेतु स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त स्तम्भ-04 में अंकित पद/कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	जिस पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भरत सिंह 1959/05.07.52/रोहतास	तकनीकी सलाहकार (चा.प्र.) रूपांकण अंचल, मेदिनीनगर	क्षेत्रीय प्रबंधक झालको, मेदिनीनगर	
2	श्री ग्रेवियल किंडो जे 9046/12.07.62/गुमला	तकनीकी सलाहकार (चा.प्र.) जलपथ अंचल दुमका	क्षेत्रीय प्रबंधक झालको, दुमका	
3	श्री अरुण कुमार चौधरी 1749/12.06.55/भोजपुर	तकनीकी सलाहकार (चा.प्र.) जलपथ अंचल चाईबासा	क्षेत्रीय प्रबंधक झालको, चाईबासा	
4	श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा 2059/10.01.55/पटना	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) लघु सिंचाई प्रमंडल हजारीबाग	क्षेत्रीय प्रबंधक झालको, हजारीबाग	

- यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(दिनेश उपाध्याय)


सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 6225

राँची, दिनांक- 30.12.11

प्रतिलिपि-सी.डी. की प्रति सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।


(दिनेश उपाध्याय)


सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 6225

राँची, दिनांक- 30.12.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने मूल कार्य के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित अपने से संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।



(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र०)